भारतीय पशु चिकित्सा परिषद / VETERINARY COUNCIL OF INDIA

ए विंग, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-१९००६६/ A-Wing, August Kranti Bhawan, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066

पंजीयन प्रमाण-पत्र / Registration Certificate





whose particulars are shown

भा.प.ची.प. प्रमाण-पत्र सं /V.C.I./ Regn. No. : 1074

यह प्रमाणित किया जाता है कि डॉ.रुप्टूट्य किर्सा परिषद अधिनियम, १६८४ (१६८४ का ५२) के

उपबंधों के अधीन सम्पर्क रूप से रिजस्ट्रीकरण कर लिया गया है।/This is to certify that Dr. Roll Single below has been duly registered under the provisions of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 कि 1984)

रजिस्टीकरण का स्थान और तारीख (यदि किसी राज्य पश्च चिकित्सा अर्हता और उसकी तारीख/ पिता ∕पति के नाम सहित नाम जन्मतिथि परिषाद के पास पहले ही रजिस्टीकृत है।) / Date and Place of Qualification and Date thereof Name with Father's / Husband's Name Date of Birth Address Registration (If already registered with a State Venterinary Council) A.V.Sc. SA.H. $NO \cdot HAC | S | S H$ Dr. Rahul Singh H.NO.16-A, 66/4/1997 (Lala Laj pat Rai Doted:30/12/2020 S-Block, Slosh. Dhoxmbix Singh hivexsity of Saket Extu. Colony. eterinary and Animal Council ciences, Hicax. Hisax. Hazyana),2020 Hazyava-125001

प्रमाणित किया जाता है कि यह भारतीय पशु चिकित्सा व्यवसायी रजिस्ट्र में ऊपर विनिर्दिष्ट नाम की सत्य प्रतिलिपि है इसके साक्ष्यस्वरूप इस पर भारतीय पशु चिकित्सा परिषद की मुद्रा लगा दी गई है और सर्चिव ने अपने हस्ताक्षर किए है। यह प्रमाण-पत्र तब कि विभान है जब तक कि पशु-चिकित्सक का नाम भारतीय पशु-चिकित्स अधिनियम, १६८४ (१६८४ का ४२) के उपबंचों के अनुसार रिजस्ट्र से हटा नहीं दिया जाता है। /Certified that this is true copy of the above specified name to the Indian Version of the Indian Ver

नई दिल्ली /NEW DELHI

तारीख/Dated, the 14/12/2022

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद / भू TERIMARY COUNCIL OF INDIA

आवश्यक सूचना/IMPORTANT NOTICE :

- 9. प्रत्येक रिजिस्त्रीकृत पशु-चिकित्सा व्यवसायी को अपने पते में प्रत्येक परिवर्तन की सूचना सचिव को तुरंत देनी चाहिए जो उसके संबंध में सचिव द्वारा उसे अर्जे जाएँ। /Every registered Veterinary Practitioner should be careful to send to the Secretary immediate notice of any change of his address and also answer all queries that may be sent to him by the Secretary in regard thereto.
- २. पारतीय पशु-चिकित्सा अधिनियम, १६८४ के अधीन रजिस्ट्रीकृत सभी व्यक्ति पशु-चिकित्सा औषिय और पशु-पातन का व्यवसाय करने के लिए विधिक रूप से हैं। / All person's registered under Indian Veterinary Council Act, 1984 are legally qualified to practice veterinary medicine and animal husbandry.
- 3. इस प्रमाण-पत्र के संतोधन के रहा में जैसा विनियम ६ के अधीन उपर्वाधत है मूल नाम परिवर्तित नाम के ठीक नीचे कोष्टकों () के पीतर दर्शित किया जाएगा। / In case of amendment of this certificate as provided under regulation 6, the original name shall be indicated within parenthesis (
- miniferencity below no allowed instances.

 अ. यदि प्रमाण-पत्र के के हुसरी प्रति जारी के जी हैं के साथ विनयम १० के अभीन उपवस्थित है तो इस प्रमाण-पत्र के ऊपर के वाएँ कोने पर ''दूसरी प्रति'' शब्द जाल स्याही में स्पष्ट अक्षरों में मुद्रित किया जाएगा। /In case a duplicate Certificate is issued as provided under regulation 10, the word 'DUPLICATE' shall be printed in red ink in block letters on top right hand corner of this certificate.